



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67911

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10794 सन् 2026

योगेश

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- राम बाबू सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- अरुण कुमार भट्ट, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री राम बाबू सिंह, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से, श्री अरुण कुमार भट्ट, विद्वान अधिवक्ता को प्रथम सूचनादाता की ओर से तथा सुश्री मयूरी मेहरोत्रा, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 544 सन् 2025, धाराएँ 191(2), 191(3), 190, 103(1), 126(2), 115(2), 351(3), 352, 125 बी.एन.एस., पुलिस थाना भोगाँव, जिला मैनपुरी में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना सहित दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा घायल एवं प्रत्यक्षदर्शी के बयान में आवेदक सहित सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल की मृत्युपूर्व परीक्षण रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घायल को अनेक सिर की चोटें आईं जिन्हें एकल चोट माना गया, किंतु आवेदक सहित किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को वह चोट पहुँचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सीसीटीवी फुटेज से भी यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे थे और एक-दूसरे पर ईंट और डंडे से प्रहार कर रहे थे। आवेदक के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि झगड़े के दौरान मृतक को चोटें आईं। आवेदक को इस प्रकरण में उस पर दबाव डालने के एकमात्र उद्देश्य से असत्य रूप से फँसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 01.12.2025 से कारागार में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी तथा प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टि में रखते हुए और विचारण न्यायालयों के समक्ष कारागारों की भीड़भाड़ तथा आपराधिक प्रकरणों की अत्यधिक लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **योगेश** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो-दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए, विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और प्रतिभूतियों की पहचान, प्रस्थिति एवं आवास का प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई एवं संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को उन्मोचन आदेश प्रेषित करेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

सी.एस/-